भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2453

उत्तर देने की तारीख- 13/03/2025

लम्बाडी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

2453. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लम्बाडी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से लम्बाडी समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भी सिफारिश की थी कि लम्बाडी समुदाय को संविधान में उपयुक्त संशोधन करके एसटी घोषित किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बाडी समुदाय को एसटी सूची में शीघ्र शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): अनुसूचित जनजाति सूची में 'लम्बाडी' समुदाय को शामिल करने के लिए इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियां के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो । सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं। मामले को आगे संसाधित करने के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पूर्व-अपेक्षित है।

******